

समय-सीमा

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 1507 / वित्त / ब-4 / 2016
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 07/01/2017

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
(संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर)
मंत्रालय, नया रायपुर ।

विषय:- परिणामी बजट / जेण्डर बजट / युवा बजट / कृषि बजट 2017-18
संदर्भ:- वित्त विभाग का पत्र क्र. 512 / वित्त / बजट-4 / 2016 दिनांक 18.7.2016 तथा पत्र
क्रमांक 881 / वित्त / बजट-4 / 2016 दिनांक 14.9.2016

संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2017-18 का बजट कार्यक्रम आपको संसूचित किया गया है। वर्ष 2017-18 के बजट की सचिव स्तरीय चर्चा दिनांक 12.1.2017 को समाप्त हो रही है। सचिव स्तरीय चर्चा में अंतिम रूप दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2017-18 हेतु संलग्न प्रपत्रानुसार (अ एवं ब) आउटकम बजट, जेण्डर बजट एवं युवा बजट की जानकारी इस विभाग को प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17 जनवरी, 2017 निर्धारित की गई है। कृपया उक्त तिथि तक यह जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट हेतु वित्त मंत्रीजी के भाषण हेतु विभाग की नवीन योजनाओं के उद्देश्य, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा इससे उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण भी दिनांक 17 जनवरी, 2017 तक वित्त विभाग को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया वांछित जानकारी साफ्ट कॉपी (Excel) में भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक 07/01/2017

पृ. क्रमांक 1508 / वित्त / ब-4 / 2017
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ ऑफीसर
2. सचिव, वित्त के निज सहायक
3. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक
4. समस्त संयुक्त सचिव / उप सचिव, वित्त के निज सहायक
5. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, बजट शाखा, वित्त विभाग
7. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

(अरविन्द कुंजूर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

जेण्डर बजट वर्ष 2017-18

विभागाध्यक्ष-

अ. ऐसी योजनाएं जिसमें महिलाओं की भागीदारी 100 प्रतिशत है-

(राशि रुपये हजार में)

क्र.	योजना का नाम	योजना हेतु बजट प्रावधान	योजना अंतर्गत महिला घटक हेतु प्रावधान	योजना अंतर्गत कुल लाभान्वित	योजना के अंतर्गत कुल लाभान्वित महिलाएं
1.	2.	3.	4.	5.	6.

ब. ऐसी योजनाएं जिसमें 30 प्रतिशत या इससे अधिक महिलाओं की भागीदारी है-

क्र.	योजना का नाम	योजना हेतु बजट प्रावधान	योजना अंतर्गत महिला घटक हेतु प्रावधान	योजना अंतर्गत कुल लाभान्वित	योजना के अंतर्गत कुल लाभान्वित महिलाएं
1.	2.	3.	4.	5.	6.

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

युवा बजट वर्ष 2017-18

विभागाध्यक्ष-

अ. ऐसी योजनाएं जिसमें युवाओं की भागीदारी 100 प्रतिशत है-

(राशि रूपये हजार में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2017-18	योजना का उद्देश्य, गतिविधियाँ, क्रियान्वयन एजेंसी	योजनांतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या	योजनांतर्गत लाभान्वितों युवाओं की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.

ब. ऐसी योजनाएं जिसमें युवाओं की 50 या इससे अधिक प्रतिशत की भागीदारी है-

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2017-18	योजना का उद्देश्य, गतिविधियाँ, क्रियान्वयन एजेंसी	योजनांतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या	योजनांतर्गत लाभान्वितों युवाओं की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर